

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर

सेवा पर्व पखवाड़ा अन्तर्गत ग्रामीण सेवा शिविर

ग्राम पंचायत-

प्रकरण संख्या:- 255/25

दिनांक:- 3/10/2025

उनवान

श्री बलंगलाल पुत्र  
गंगाराज

बनाम सरकार जरिये तहसीलदार  
चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर



:: आदेश ::

प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेज, पटवारी हल्का पांवेरा भू. अ. नि. पांवेरा एवं तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा की रिपोर्ट/अनुशंषा अनुसार राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत ग्राम पांवेरा प० ह० पांवेरा की वर्तमान स्थायी जमाबन्दी के खाता संख्या 275 में वर्तमान दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र. सं.	अशुद्ध प्रविष्टि का प्रकार (नाम/पिता का नाम/जाति/ग्राम का नाम/रहन आदि)	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	शुद्ध प्रविष्टि, जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है।
1.	पिता कानाठ अशुद्ध	बलंगलाल पुत्र गंगाराल	बलंगलाल पुत्र गंगाराज (शेख बदलूर जमाबन्दी)

उपखण्ड/अधिकारी चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

प्रतिलिपी :-

1. तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल कर पालना प्रस्तुत करें।
2. प्रार्थी श्री बलंगलाल पुत्र गंगाराज जाति बंसाल।

उपखण्ड अधिकारी चौथ का बरवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)